पत्रिका

कोर्ट के निर्देश पर गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज

डीलरशिप के नाम पर सेवानिवृत्त जवान से 40 लाख की ठगी

अंबिकापुर @ पत्रिका. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की डीलरशिप दिलाने के नाम पर दंपती से 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सरनापारा तुलसी चौक, गंगापुर खुर्द निवासी रंजीत कुजूर (62), सीआईएसएफ से सेवानिवृत्त हैं। उनकी पत्नी जसिन्ता कुजूर (60) ने बताया कि उन्हें ओजोमो ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि., चंडीगढ़ (पंजाब) के डायरेक्टर राम शर्मा द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप देने का प्रस्ताव मिला था। 4 दिसंबर 2019 को कंपनी का कोटेशन मिलने के बाद उन्होंने केनरा बैंक अंबिकापुर से 45 लाख का लोन लिया और 29 जनवरी 2020 को 40 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। फिर रंजीत कुजूर ने दुकान किराए पर ली और 3 वर्षों तक 15 हजार रुपए मासिक किराया भी चुकाया। उन्होंने पत्नी के नाम की बंधक संपत्ति (मकान व जमीन) गिरवी रखकर लोन लिया था। अब बैंक द्वारा ब्याज सहित 62.55 लाख रुपये की वसूली हेतु बंधक संपत्ति की नीलामी का दबाव बनाया जा रहा है।

न्यायालय में परिवाद किया प्रस्तुत

भुगतान के बाद उन्हें न तो वाहन मिले और न ही कोई आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। लगातार संपर्क के बाद भी राम शर्मा टालमटोल करता रहा। निराश होकर दंपती ने न्यायालय में दस्तावेजों सहित परिवाद प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार करते हुए पुलिस को जांच के निर्देश दिए, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया।

29/07/2025 | Raipur City | Page : 9
Source : https://epaper.patrika.com/